न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,भरतपुर

अपील/07/2023

लीलावती पत्नी स्व0 श्री हिम्मतसिंह आयु 56 वर्ष जाति गुर्जर निवासी जहारवीर मदिर के पास नीमदा गेट,भरतपुर

....अपीलार्थी0

बनाम

1– देवेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री हिम्मत सिंह आयु 40 वर्ष जाति गुर्जर निवासी जहारवीर मंदिर के पास नीमदा गेट, भरतपुर

2–सुनीता पत्नी श्री देवेन्द्र सिंह आयु 38 वर्ष जाति गुर्जर निवासी जहारवीर मंदिर के पास नीमदा गेट भरतपुर

..... रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 व खिलाफ निर्णय दिनांक 4–8–2023 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन पीठासीन अधिकारी, भरण पोषण भरतपुर ।

उपस्थित :–

1–श्री नरेश शर्मा अभिभाषक अपीलान्ट,

2–श्री दिलीपसिंह अभिभाषक, रेस्पो

निर्णय

दिनांक 21.06.2024

अपीलार्थी ने यह अपील विरुद्व रेस्पो. व खिलाफ उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 4–8–2023 के पेश की गई है। अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीया विधवा व बुजुर्ग महिला है, प्रार्थीया के पति का स्वर्गवास रोड़वेज सेवा में रहते हुये हो गया था। प्रार्थीया के सौतेले पुत्र देवेन्द्र सिंह व उसकी पत्नी सुनीता ने प्रार्थीया को आश्वासन दिया कि वह प्रार्थीया व अपने छोटे भाई युधिष्ठिर व रॉबिन सिंह की देखभाल व भरण पोषण व सेवा सुश्रुर्षा अच्छी तरह से करेगा तुम मुझे नौकरी हेतु सहमति प्रदान कर दो। प्रार्थीया ने अनुकम्पा नियुक्ति हेतु अपनी सहमति देदी और अप्रार्थी देवेन्द्रसिंह को अनुकम्पा नियुक्ती दिलवादी। देवेन्द्रसिंह शराब पीकर अपनी पत्नी सुनीता के साथ मिलकर प्रार्थीया व उसके बच्चों से गाली गलौच व मारपीट करता है। प्रार्थीया के विद्युत कनेक्शन से अवैध रुप से बिजली का उपभोग किया जा रहा है। प्रार्थीया के लाठी मारी जिससे हाथ में चोट आई प्रार्थी के घर बाहर रखी मोटर साईकिल को लाठी से तोड़ दिया, थाने में रिपोर्ट की गई देवेन्द्र सिंह को पुलिस पकड़ कर ले गई तथा धारा 151 में छः माह के लिये पाबन्द कर दिया गया। प्रार्थीया व उसकी विधवा पुत्रवधू व बच्चे रेस्पो देवेन्द्रसिंह के कृत्यों से परेशान हैं। प्रार्थीया एक अल्पभोगी पेंशन प्राप्त करने वाली महिला है जिस पर वर्तमान में उसकी विधवा पुत्रवधू मनीषा व उसके बच्चे आरिव

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

सिह व प्रज्ञासिंह व अविवाहित पुत्र रॉबिन के लालन पालन की जिम्मेदारी है। प्रार्थीया एक अनपढ व वृद्ध महिला है जिस पर इसके अलावा देवेन्द्र सिंह द्वारा किये गये झूंठे मुकदमों को लड़ने/अपना पक्ष रखने के लिये अधिवक्ता के लिये फीस राशि व विद्युत बिल के भुगतान करने व अपना भरण पोषण दवाई फल दूध व अपने जाने की किराया राशि आदि के लिये 25000/– रुपये की आवश्यकता है जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण रुप से अप्रार्थी संख्या–1 देवेन्द्र सिंह पर है जिसको की प्रार्थीया ने अपनी सहमति प्रदान कर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की है। प्रार्थीया रेस्पो0से वेतन से 1/3 राशि भरण–पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी है। देवेन्द्र सिंह जो कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में परिचालक के पद पर भरतपुर आगार भरतपुर में कार्यरत है जिसको करीब 70000/– रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है तथा उसकी पत्नी ब्यूटी पार्लर का कार्य कर व अपने अधीन महिला कर्मचारी रखकर करीब 40000/–रुपये प्रतिमाह कमाती है। देवेन्द्र सिंह आसानी से प्रार्थीया को 20000/– प्रतिमाह अदा कर सकता है। प्रार्थीया को सम्मान पूर्वक जीवन यापन के लिये 25000/– रुपये प्रतिमाह देवेन्द्र सिंह प्रार्थीया को अदा करे प्रार्थीया व उसकी विधवा पुत्रवघू मनीषा व उसके बच्चों आरिव सिंह व प्रज्ञा सिंह व अविवाहित पुत्र रॉबिन को देवेन्द्र सिंह व उसकी पत्नी सुनीता परेशान नहीं करें व प्रार्थीया से सद्भावना पूर्ण व्यवहार करें व प्रार्थी की सेवा सुश्रुर्षा का ध्यान रखे। समय समय पर खाने पीने का ध्यान रखें एवं प्रार्थीया की बीमारी की स्थिति में समुचित इलाज करायें और प्रार्थीया से सद्भावना पूर्ण मृद व्यवहार करें तथा प्रार्थीया के विधुत कनैक्शन में से विधुत उपभोग जो जबरदस्ती पूर्वक नहीं करें और अपना नवीन विधुत कनैक्शन लगवाकर अपने लिये विधुत उपभोग करें। अन्त में प्रार्थना की गई है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.8.2023 आंशिक रुप से निरस्त फरमाया जाकर अपीलाथी को रैस्पो0 से उसके भरण पोषण हेतु 25000/– रुपये मासिक दिलाये जाने व रैस्पो0 को अपीलाथी के मकान बाके जाहरवीर मंदिर के पास नीम दा गेट भरतपुर से बेदखल किये व जाने व अपीलार्थी को किसी भी प्रकार से पाबंद न किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 एवं पत्रावली तहत तलब की गई। उपखण्ड अधिकारी भरतपुर से प्राप्त तहत फाईल शामिल मिसिल की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिषक अपीलान्ट ने अपने कथनों में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि प्रार्थीया विधवा व बुजुर्ग महिला है, प्रार्थीया के पति का रोड़वेज सेवा में रहते हुये स्वर्गवास हो गया था। प्रार्थीया के पति की जगह अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्रार्थीया के सौतेले पुत्र देवेन्द्र सिंह व उसकी पत्नी सुनीता ने प्रार्थीया को आश्वासन दिया कि वह प्रार्थीया व अपने छोटे भाई युधिष्ठिर व रॉबिन सिंह की देखभाल व भरण पोषण व सेवा सुश्रुर्षा अच्छी तरह से करेगा तुम मुझे

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

नौकरी हेतु सहमति प्रदान कर दी। प्रार्थीया ने अनुकम्पा नियुक्ति हेतु अपनी सहमति देदी और अप्रार्थी देवेन्द्रसिंह को अनुकम्पा नियुक्ती मिल गई। देवेन्द्रसिंह शराब पीकर अपनी पत्नी सुनीता के साथ मिलकर प्रार्थीया व उसके बच्चों से मारपीट गलौच व मारपीट करता है। प्रार्थीया के विद्युत कनेक्शन से अवैध रुप से बिजली का उपभोग किया जा रहा है। प्रार्थीया के लाठी मारी जिससे हाथ में चोट आई प्रार्थी के घर बाहर रखी मोटर साईकिल को लाठी से तोड़ दिया, थाने में रिपोर्ट की गई देवेन्द्र सिंह को पुलिस पकड़ कर ले गई तथा कोर्ट द्वारा धारा 151 में छः माह के लिये पाबन्द कर दिया गया। प्रार्थीया व उसकी विधवा पुत्रवधू व बच्चे रैस्पो देवेन्द्रसिंह के कृत्यों से परेशान हैं। प्रार्थीया एक अल्पभोगी पेंशन प्राप्त करने वाली महिला है जिस पर वर्तमान में उसकी विधवा पुत्र वधू मनीषा व उसके बच्चे आरिव सिह व प्रज्ञासिंह व अविवाहित पुत्र रॉबिन के लालन पालन की जिम्मेदारी है। प्रार्थीया एक अनपढ व वृद्ध महिला है जिस पर इसके अलावा देवेन्द्र सिंह द्वारा किये गये झूंठे मुकदमों को लड़ने/अपना पक्ष रखने के लिये अधिवक्ता के लिये फीस राशि व विद्युत बिल के भुगतान करने व अपना भरण पोषण दवाई फल दूध व अपने आने जाने की किराया राशि आदि के लिये 25000/– रुपये की आवश्यकता है जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण रुप से अप्रार्थी संख्या–1 देवेन्द्र सिंह पर है जिसको की प्रार्थीया ने अपनी सहमति प्रदान कर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की है। प्रार्थीया रेस्पो0 से वेतन से 1/3 राशि भरण–पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी है। देवेन्द्र सिह जो कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में परिचालक के पद पर भरतपुर आगार भरतपुर में कार्यरत है जिसको करीब 70000/– रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है तथा उसकी पत्नी ब्यूटी पार्लर का कार्य कर व अपने अधीन महिला कर्मचारी रखकर करीब 40000/–रुपये प्रति माह कमाती है। देवेन्द्र सिंह आसानी से प्रार्थीया को 20000/– प्रतिमाह अदा कर सकता है। प्रार्थीया को सम्मान पूर्वक जीवन यापन के लिये 25000/– रुपये प्रतिमाह देवेन्द्र सिंह प्रार्थीया को अदा करे प्रार्थीया व उसकी विधवा पुत्रवधू मनीषा व उसके बच्चों आरिव सिंह व प्रज्ञा सिंह व अविवाहित पुत्र रॉबिन को देवेन्द्र सिंह व उसकी पत्नी सुनीता परेशान नहीं करें व प्रार्थीया से सद्भावना पूर्ण व्यवहार करें व प्रार्थी की सेवा सुश्रुर्षा का ध्यान रखे। समय समय पर खाने पीने का ध्यान रखें एवं प्रार्थीया की बीमारी की स्थिति में समुचित इलाज करायें और प्रार्थीया से सद्भावना पूर्ण मृद व्यवहार करें तथा प्रार्थीया के विद्युत कनैक्शन में से विद्युत उपभोग जो जबरदस्ती पूर्वक नहीं करें और अपना नवीन विद्युत कनैक्शन लगवाकर अपने लिये विद्युत उपभोग करें। अन्त में प्रार्थना की गई है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.8.2023 आंशिक रुप से निरस्त फरमाया जाकर अपीलार्थी को रैस्पो0 से उसके भरण पोषण हेतु 25000/– रुपये मासिक दिलाये जाने व रैस्पो0 को अपीलार्थी के मकान बाके जाहरवीर मंदिर के पास नीम दा गेट भरतपुर से बेदखल किये व जाने व अपीलार्थी को किसी भी प्रकार से पाबंद न किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

.....4

जिला कलक्टर
भरतपुर

योग्य अभिभाषक रेस्पो ने अपने अपने तर्कों में जाहिर किया कि तहत न्यायालय ने विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अपीलान्ट प्रार्थीया पेशंन से करीब 20000/– रुपये प्रतिमाह प्राप्त कर रही है जिससे अपना भरण पोषण करने में पूर्ण रुप से सक्षम है। प्रार्थीया ने अपने पति की सम्पत्ति जिसको उसने किराये पर उठाया हुआ है उनसे लाखों रुपये का किराया प्राप्त कर रही है। रेस्पो. संख्या–1 के दो भूखण्ड व एक दुकान थी जिनका बयनामा भी अपीलान्ट द्वारा अपने देवर गंगासिंह से साज कर आपराधिक षड़यन्त्र कर दबाव बनाकर अपने नाम करा लिये हैं और उन पर कब्जा कर लिया, उनके अपीलान्ट ने किराये पर दे रखा है जिससे वह लाखों रुपये मासिक की आय अंर्जित कर रही है। उनका यह भी कहना है कि रेस्पो संख्या– 1 के पिता की एक दुकान कोठारी स्टोन के सामने स्थित है उसमें शराब का ठेका चल रहा है जिससे भी 20000/– रुपये मासिक किराया अपीलान्ट को प्राप्त हो रहा है। इसके अतिरिक्त रेस्पो संख्या 1 के पिता की तीन दुकान सोनू ट्रेवल्य के पास सरकूलर रोड भरतपुर पर स्थित है जिनकी वर्तमान करोड़ों रुपये कीमत है जिनका किराया 20000/– रुपये मासिक प्राप्त कर रही है। रेस्पो की पिता की मृत्यू पर जो विभाग से फण्ड ग्रेच्युटी, जीपीएफ बीमा आदि की राशि मिली थी उनको भी अपीलान्ट व उसके दोनों पुत्रों द्वारा हड़प कर लिया गया है जिसमें एक रुपया भी अप्रार्थीगण को नही दिया गया है। पिता की मृत्यू के बाद दोनों पुत्र युधिष्ठर व रोबिन सिह के नाम से कोतवाली भरतपुर मे स्थित दो दुकान कय की गई जो कि किराये पर उठी हुई जिनके किराये 40000/– रुपये मासिक की आय हो रही है कोतवाली के पास स्थित जनता बैण्ड वाले की दुकान अपीलान्ट ने अपने देवर गंगासिंह के साक्षेदारी में कय की है इसके अतिरिक्त अपीलान्ट व उसके देवर गगासिह ने मुखर्जी नगर भरतपुर मे करोड़ो का भूखण्ड कय किया है। योग्य अभिभाषक ने बताया कि रेस्पो0 का विधुत कनेक्शन अलग जिसका बिल वह भरता है बिजली के उपयोग का झूठा आरोप है। अपीलान्ट के पास उनके पति से प्राप्त आराजी बाके श्रीनगर तहसील व जिला भरतपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 548 लगायत 555 है जिनके सम्बन्ध में समस्त दस्तावेजात पत्रावली पर उपलब्ध हैं। अपीलान्ट के पास आय की कोई कमी नहीं है, प्रार्थीया भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। अपीलान्ट खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावलीयों का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया । अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.8.2023 पर गौर किया ।

बुढापे में वृद्ध माता पिता की सेवा सुश्राषा पुत्रों द्वारा नहीं किये जाने के कारण ही वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 लागू किया गया है। प्रत्येक पुत्र का कर्तव्य है कि बुढापे/वृद्धावस्था में अपने माता पिता की सेवा सुश्राषा करे उनके भरण पोषण का ख्याल रखे।

.....5

जिला कलक्टर
भरतपुर

जहॉ तक प्रश्न भरण पोषण राशि का है, प्रार्थीया पति के मृत्यू के बाद परिवारिक पैंशन प्राप्त कर रही है, प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र पेशंन राशि का कोई जिक्र नही किया है जबकि रेस्पो. के कथनों अनुसार प्रार्थीया द्वारा लगभग 20000/– रुपये पारिवारिक पेंशन प्राप्त करना बताया है। पत्रावली में उपलब्ध फोटो प्रति किरायानामा दुकान स्थित नीमदा गेट सरक्यूलर रोड़ जिसमें दुकान मालिक का नाम श्रीमती लीलावती पत्नि हिम्मत सिंह अंकित है। फोटो प्रति इकरारनामा भूखण्ड स्थित नीमदरवाजा भरतपुर का इकरारनामा भी श्रीमती लीलावती किराया का किया हुआ है। पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 ग्रांम कस्वा भरतपुर खाता संख्या 138 चक नम्बर 1 के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थीया और उसके बच्चों के नाम कृषी भूमि मे खातेदारी दर्ज है, इसका विरोध अपीलान्ट द्वारा नहीं किया गया है। पत्रावली में शामिल विद्युत बिल नम्बर KNO 21021204 8089 जो कि देवेन्द्रसिंह पुत्र हिम्मतसिंह रेस्पो के नाम का है से स्पष्ट है कि बिजली का बिल रेस्पो द्वारा अपने कनेक्शन से किया जा रहा है। यानि अपीलान्ट के पास जीवन यापन के लिये आय के पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं।

जहॉ तक प्रश्न बुढापे में वृद्ध माता पिता की सेवा सुश्राषा पुत्र द्वारा नहीं किये जाने का इस सम्बन्ध में तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भरतपुर ने अपने निणर्य दिनांक 4.8.2023 में उभय पक्ष को पाबन्द किया हुआ है। अपीलान्ट का यह कहना कि प्रार्थीया को पाबन्द नहीं किया जावे से हम सहमत हैं अस्तु अपील अपीलान्ट आंशिक रुप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.8.2023 में से प्रार्थीया को पाबन्दी के आदेश को निरस्त किया जाना उचित पाते

आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.8.2023 में से ''प्रार्थीया को पाबन्दी'' किये जाने की आज्ञा को निरस्त किया जाता है, शेष आदेश यथावत रहेगा। उपखण्ड अधिकारी भरतपुर आदेश की पालना कराया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्राावली वापिस उपखण्ड अधिकारी भरतपुर को लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 21–6–2024 को सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर